जिला परिषद् कार्यालय, मुजफ्फरपुर।

सेवा–निवृत सहायक अभियंता, अमीन एवं आशुलिपिक के नियोजन हेतु विज्ञापन

पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 11868/पं0रा0 दिनांक 12.12.2022 के आलोक में जिला परिषद कार्यालय, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवानिवृत सहायक अभियंता, अमीन एवं आशुलिपिक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है:–

क्र0 सं0	पदनाम	रिक्ति की स्थिति	अभ्युक्ति
1	सहायक अभियंता	01	
2	अमीन	01	
3	आशुलिपिक	01	

आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2023 तक जिला परिषद कार्यालय, मुजफ्फरपुर में कार्यालय अवधि में सीधे या निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त्त निम्न प्रकार है:–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकत्तम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवको का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमती से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदो जिनकी सेवानिवृति की आयु भी 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकत्तम उम्र सीमा 70 वर्ष होंगी।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृति सेवको का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वो के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
3. आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
4. संविदा पर नियोजित कर्मियो का मानदेय उन्हे प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृति सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

6. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक–उपक्रमो से सेवानिवृत कर्मियो का संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय धारित पद/समकक्ष पदो पर किया जा सकेगा।

ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियो का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का आरंभिक वेतन/वेतन स्तर (Pay Level) का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

7. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत कर्मियो को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवको की भांती क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

8. नियोजित संविदा कर्मियो को जिला परिषद के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा, जिसमें नियम एवं शर्त्ते रहेगी।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मियो द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।

10. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, मुजफ्फरपुर।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. पिता / पति का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. जाति वर्ग :–
6. शैक्षणिक योग्यता :–
7. लिंग :–पुरूष ☐ स्त्रीलींग ☐
8. स्थायी पता :–

9. पत्राचार का पता :–

10. सेवानिवृति की तिथि :–
11. सेवानिवृत विभाग का नाम :–
12. सेवानिवृति विभाग का पुरा पता :–

13. सेवानिवृति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति:–
14. निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र :–
15. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र :–

मै घोषणा करता / करती हूँ की उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है। किसी प्रकार की गलत सूचना पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई का भागी बनूगाँ।

आवेदक का हस्ताक्षर